



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 1916 सन् 2026

मोहम्मद मियां

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

..... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अरफ खान, लिहाजुर रहमान खान

उत्तरदातागण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अराफ खान और राज्य-उत्तरदातागण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विवेक सिंह को सुना।
2. प्रतिद्वंद्वी पक्षों के अधिवक्ताओं ने एक संयुक्त बयान दिया है कि वे आगे कोई शपथपत्र दायर करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं, इसलिए पक्षों की सहमति से, रिट याचिका पर नए चरण में ही निर्णय किया जा रहा है।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह 18.01.2018 से बांदा में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल, अतर्रा के प्रधानाचार्य और अधीक्षक के कार्यालय में कनिष्ठ सहायक (वर्ग-ग) के पद पर कार्यरत है और रिट याचिकाकर्ता ने इस आधार पर कानपुर नगर/कानपुर देहात में स्थानांतरण की मांग करने वाला एक आवेदन प्रस्तुत किया कि उसकी पत्नी प्राथमिक विद्यालय, चांदपुर, विकास खंड अमरौधा, कानपुर देहात में एक सरकारी शिक्षक के पद पर नियुक्त है। चूंकि उक्त दावे पर कोई निर्णय नहीं लिया

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जा रहा था, इसलिए रिट याचिकाकर्ता ने रिट-ए संख्या 9153 सन् 2025 (मो. मियां बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य) दायर किया था, जिसका निस्तारण 09.07.2025 को इस निर्देश के साथ किया गया था, कि रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन पर विचार करें तथापि, अब आक्षेपित आदेश के आधार पर, रिट याचिकाकर्ता के दावे को 28.08.2025 को निदेशक, आयुर्वेदिक सेवा निदेशालय, 9वीं मंजिल, इंदिरा भवन, लखनऊ द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है।

4. उसी पर सवाल उठाते हुए, रिट याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

5. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित आदेश को इस साधारण कारण से कायम नहीं रखा जा सकता है कि सबसे पहले, रिट याचिकाकर्ता की पत्नी कानपुर देहात में कार्यरत है और दिनांक 06.05.2025 का एक शासनादेश मौजूद है, जिसमें ऐसी किसी भी स्थिति के लिए प्रावधान किया गया है कि पति और पत्नी को पति या पत्नी होने के नाते उस स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है जहां दोनों कार्यरत हैं। आगे प्रस्तुत किया गया है कि रिट याचिकाकर्ता शारीरिक रूप से विकलांग (50%) है, इसलिए शासनादेश में मामले के उस पहलू पर भी विचार करने का प्रावधान है।

6. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जो कुछ भी हो, कानपुर या जालौन में ऐसा कोई पद उपलब्ध नहीं है जिसमें रिट याचिकाकर्ता को समायोजित किया जा सके। तथापि, वह प्रस्तुत करते हैं कि यदि किसी अन्य निकटवर्ती जिले में रिक्तियां उपलब्ध हैं तो इस मामले पर विचार किया जाएगा, विशेष रूप से जब नई स्थानांतरण नीति आगामी वर्ष में आने वाली हो।

7. इस तरह की दलील पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वह इसे शालीनता से स्वीकार करते हैं।

8. प्रतिद्वंद्वी पक्षों की प्रस्तुतियों के साथ-साथ उनके द्वारा लिए गए रुख पर विचार करते हुए और अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय की राय है कि एक बार जब रिट याचिकाकर्ता किसी स्थानांतरणीय पद धारण कर लेता है तो वह इस बात पर जोर नहीं दे सकता है कि उसे किसी विशेष स्थान पर तैनात किया जाना है, यद्यपि, शासनादेश उक्त पहलू पर प्रकाश डालता है, जिसके अनुसार, एक प्रावधान है कि जहां तक संभव हो, जीवनसाथी (पति और पत्नी) एक ही विशेष स्थान पर रह सकते हैं और विकलांग व्यक्तियों को लाभ भी दिया गया है, लेकिन उक्त पहलू रिक्ति की उपलब्धता से संबंधित हैं।

9. जैसा भी हो, चूंकि स्थानांतरण के अंतर्गत लाभ मिलते हैं और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आने वाले वर्षों में, स्थानांतरण नीति अभी तक आनी बाकी है, इसलिए जैसे ही स्थानांतरण नीति आएगी,

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



रिट याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत उठाने का अवसर प्राप्त होगा, जिस पर विधि के अनुसार ही सख्ती से विचार किया जायेगा।

10. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

फ़रवरी 10, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"